

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैथल
 अशोक कुमार सह्याय बनाम जोकिन्द कर्ण
 किस्म मुकदमा नं०..... दावा सन् 202

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/6/24	पत्रावली पेश हुई / वकील वादी अनु. 18 पत्रावली सुनवाई का अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनांक 25/7/2024 को पेश की।	
25/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई ; वादी व वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी व प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित हैं ; उनका न्यायालय में क्रेक क्रेक कर कर कर आवाज शिलवाई गई, परन्तु कोई भी न्यायालय समय तक उपस्थित नहीं हुआ ; अतः पुकरण आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत अधिम काजरी व अधिम पेशी के श्वारिज किया जाता है । पुकरण केसल सुगार होकर नम्बर ल कम है तथा दफतर धारित है ।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सैथल